(281)

पत्रांक : 5प / षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02 / 2024 / 7741 (वि०) / पं०रा०
बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

किशोर कुमार,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 11 / 9 / 2025

विषय : **वित्तीय वर्ष 2024–25 में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्रथम एवं द्वितीय किस्त की विकास निधिके रूप में कुल ₹2,28,70,39,500.00 (दो अरब अठाइस करोड़ सत्तर लाख उनचालीस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि को राज्य के सभी जिला परिषदों के बीच वितरण, निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

षष्ठम् राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित अनुशंसाओं को वित्त विभागीय ज्ञापांक 5164 दिनांक 13.08.2021 द्वारा लागू किया गया है। इस संकल्प में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त राशि को निधिवार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के बीच क्रमशः 70:15:15 के अनुपात में वितरित करने का निदेश संसूचित है।

2. उक्त संकल्प एवं षष्ठम् राज्य वित्त आयेाग की अनुशंसा के तहत वित्त विभागीय सहमति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रथम एवं द्वितीय किस्त की विकास निधि के रूप में कुल **₹2,28,70,39,500.00 (दो अरब अठाइस करोड़ सत्तर लाख उनचालीस हजार पाँच सौ रूपये)** मात्र की राशि को राज्य के सभी जिला परिषद् के बीच निम्नरूपेण वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

Development Fund		
Tied (60%)	Untied (40%)	Total (Col-1+2)
1	2	3
1372223700.00	914815800.00	2287039500.00

दो अरब अठाइस करोड़ सत्तर लाख उनचालीस हजार पाँच सौ रूपये

षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को सामान्य निधि एवं अनुरक्षण मद में वित्तीय वर्ष 2024–25 की देय अनुदान की राशि स्वीकृत्यादेश संख्या 67(स्वी०) दिनांक 29.11.2024 तथा आवंटनादेश संख्या 69(आ०) दिनांक 29.11.2024 द्वारा विमुक्त की जा चुकी है।

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Amit Ji\Letter.docx225

P.T.O.

280

3. विभागीय पत्रांक 2072 दिनांक 01.03.2024 द्वारा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त अनुदानों की राशि के व्यय के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश संसूचित है। साथ ही इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समय-समय पर निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं :-

(i) विभागीय पत्रांक 1484 दिनांक 09.02.2023 एवं 9239 दिनांक 23.09.2022 के क्रम में विभागीय पत्रांक 7036 दिनांक 02.08.2024 द्वारा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत जिला परिषदों को देय विकास निधि मद की संबद्ध (Tied) राशि का उपयोग किये जाने का निदेश संसूचित है। समीक्षोपरांत उक्त निदेश के आलोक में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत जिला परिषदों को देय विकास निधि मद की संबद्ध (Tied) राशि का उपयोग निम्नांकित कार्यों पर सर्वप्रथम किया जाए :-

(A) जिला परिषद् :

(क) जिला परिषद् के बैठक कक्ष (Meeting Hall) का निर्माण।

(ख) बस पड़ाव का निर्माण।

(ग) हाट बाजार (कृषि हाट बाजार) का निर्माण एवं बुनियादि सुविधाएँ प्रदान करने हेतु शेड/निरीक्षण भवन आदि।

(घ) जिला परिषद् द्वारा अपनी जमीन पर दो मंजिल सामुदायिक/विवाह भवन का निर्माण।

(ii) विभागीय पत्रांक 9185 दिनांक 08.10.2024 के आलोक में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत स्वास्थ्य अनुदान प्रक्षेत्र के तहत वर्ष 2021-22 के अनुसूचित दर (S.O.R) के अनुरूप कुल ₹5548741.82 (पचपन लाख अड़तालीस हजार सात सौ इक्कतालीस रूपये बयासी पैसे) की प्राक्कलित राशि को अद्यतन अनुसूचित दर (S.O.R) के अनुरूप बढ़ी हुई प्राक्कलित राशि का व्यय वहन षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत जिला परिषदों को विकास निधि की Untied मद की उपलब्ध राशि से किया जा सकेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 573 दिनांक 16.01.1975 एवं एम० 04-15/2009-9736 दिनांक 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम-271(ङ) के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. त्रिस्तरीय पंचायतों को आवंटित राशि के विरूद्ध मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. पूर्व के वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि का लेखा एवं आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ–साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ससमय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

7. षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थानों को स्वीकृत/आवंटित राशि में कोई त्रुटि (राशि कम या अधिक स्वीकृत/आवंटित होना) परिलक्षित होने की स्थिति में त्रुटिपूर्ण राशि के स्थान पर सही राशि स्वीकृत/आवंटित की जा सकेगी।

8. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024–25 में मांग संख्या–16 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के निम्नलिखित बजट शीर्षों में उपबंधित राशि से किया जायेगा :–

मद	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	विपत्र कोड
जिला परिषद्	"मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0007–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान"	(i)"0007.31. 04–सहायक अनुदान–वेतन" (ii)"0007.31. 05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण" (iii)"0007.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन"	16-2515001960007

9. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो इस स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न **विवरणी–1** के अनुरूप CFMS के माध्यम से राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करते हुए संबंधित राज्य के सभी जिला परिषद् के संबंधित बैंक खातों में CFMS के माध्यम से राशि अंतरित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

10. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या–5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024 के पृष्ठ संख्या ....59..../टि० पर दिनांक 22.01.2025........ को प्राप्त है।

12. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024 के पृष्ठ संख्या ......60../टि० पर दिनांक 23.01.2025........ को प्राप्त है।

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Amit JI\Letter.docx227

P.T.O

228

13. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024 के पृष्ठ संख्या 60 /टि० पर दिनांक 07.02.2025 को प्राप्त है।

14. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024 के पृष्ठ संख्या 55/टि० पर दिनांक 16.01.2025 को प्राप्त है।

15. स्वीकृत्यादेश एवं संलग्न विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

10/2
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024 771(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक 11/2/25
प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् स्वीकृत्यादेश की प्रति अध्यक्ष, जिला परिषद् को उपलब्ध करायेंगे।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

10/2
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024 771(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक 11/2/25
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

10/2
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024 771(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक 11/2/25
प्रतिलिपि: मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

10/2
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024 771(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक 11/2/25
प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03, 05 एवं 06/अनुश्रवण कोषांग/बैंकिंग कोषांग/आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

10/2/25
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Amit ji\Letter.docx228

277

विवरणी–1

वित्तीय वर्ष 2024–25 में षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि में से जिला परिषदों को **Development Fund (30%)** अंतर्गत **Tied (60%)** एवं **Untied (40%)** मद की कुल 2,28,70,39,500.00 (दो अरब अठाईस करोड़ सत्तर लाख उनचालीस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति की वितरण की विवरणी :–

Sr. NO	DIST	Development Fund (30%)		
		Tied (60%)	Untied(40%)	Total Col (4+5)
1	2	4	5	6
1	Arwal	9871028	6580685	16451713
2	Araria	39593947	26395965	65989912
3	Aurangabad	35669921	23779947	59449868
4	Banka	29788629	19859086	49647715
5	Begusarai	37253409	24835606	62089015
6	Bhagalpur	37830274	25220182	63050456
7	Bhojpur	35912124	23941416	59853540
8	Buxar	22013005	14675337	36688342
9	Darbhanga	52572975	35048650	87621625
10	E.Champaran	71533108	47688739	119221847
11	Gopalganj	36539213	24359476	60898689
12	Jamui	25066249	16710833	41777082
13	Jehanabad	14517969	9678646	24196615
14	Kaimur	23121552	15414368	38535920
15	Katihar	41881654	27921103	69802757
16	Gaya	56685705	37790470	94476175
17	Khagaria	20996653	13997769	34994422
18	Kishanganj	23520931	15680620	39201551
19	Lakhisarai	12760176	8506784	21266960
20	Madhepura	27943715	18629143	46572858
21	Madhubani	65294765	43529843	108824608
22	Munger	14959955	9973303	24933258
23	Muzaffarpur	65004416	43336278	108340694
24	Nalanda	34000413	22666942	56667355
25	Nawada	30306084	20204056	50510140
26	Patna	50335974	33557316	83893290
27	Purnea	42348744	28232496	70581240
28	Rohtas	36199990	24133327	60333317
29	Saharsa	23703335	15802223	39505558
30	Samastipur	57623019	38415346	96038365
31	Saran	53752802	35835201	89588003
32	Sheikhpura	7200746	4800497	12001243
33	Sheohar	9672797	6448531	16121328
34	Sitamarhi	47663768	31775846	79439614
35	Siwan	46181677	30787784	76969461
36	Supaul	31563273	21042182	52605455
37	Vaishali	48273294	32182196	80455490
38	W.Champaran	53066411	35377608	88444019
	Total	1372223700	914815800	2287039500

10/2/25
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव